

36

FORM-I
(for linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector



SML-SR (57)/2014 - 1036

Dated: 12/12/16

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3-67-56 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the Assistant Commissioner, Municipal Corporation, Simla for Construction of Shimla Passenger Ropeway Project (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Shimla in Tehsil.

I further certified that:-

- (i) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3-67-56 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure _____ to annexeure _____.
- (ii) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Fact: As above


Rehman Chand Thakur
District Collector
Shimla District (H.P.)
(Full name and official seal of the District Collector)

ANNEXURE-IV

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 09-12-2016 at 4.00 P.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, claiming rights in Ward No. 8,9,10,11,12,13 forest area(s) 3-67-56 hect. under FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Shimla were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	
		OR	

As informed by SDO (Civil) Shimla, no application was received from Gram Sabha claiming right in 3-67-56 hect forest area.

Place: Shimla

Date: 09-12-2016



Deputy Commissioner-Cum-Chairman


PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT COMMITTEE HELD ON 09-12-2016 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI Rohan Chand Thakur,IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.


At the very outset the Addl. District Magistrate (L&O) welcomed all the members of the committee and a total cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussuion following decision were taken.


All the cases which were placed before the committee has been approved to be processed under FCA.

The meeting ended with vote of thanks.



(A. K. VERMA)



(AMIT SAINI)


(H.K. Gupta)



(Shashi Thakur)


(D.P. Rawat)
DFO RSPB


(S.L. Sharma)
DFO


(Anita Kaur)
Z.P. member
Chopal.


(Anil)


(Rakesh)
Nutan Sevi
Z.P. m/s
Bawali


(Ashok)

Deputy Commissioner-Cum-Chairman
District Level Forest Right Committee
Shimla District Shimla, H.P.

Office of the Sub Divisional Officer (Civil), Shimla (U) District Shimla (HP)

Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional level Committee constituted under Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights Act (FRA) 2006.

A Meeting of the Sub Divisional level Committee of Sub Division urban Shimla, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship of **Sh. Hemis Negi, SDO (Civil) Shimla Urban** on 25-11-2016 at 11.30AM at Shimla in which the Application submitted by the Department of **Assistant Commissioner M.C. Shimla**, was discussed and same is recommended to District Level Committee for approval.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission to District level committee.

S. No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	No claim from anybody has been received.	Shimla Urban	C/O Shimla Passenger Ropeway Project Area 3-67-56 Hect.

Claim of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S. No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	Nil	Nil	Nil

OR

As informed by _____ Gram Sabha on application was received claiming rights in _____ forest area.

Yours faithfully


SDO(Civil)-Cum-Chairman/Chairperson

Place:-Shimla

Date: 25.11.2016

Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा... वडा No. ४
प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

दिनांक

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा वडा No. ४ की बैठक आज दिनांक 24-04-2016
का बजे स्थान में श्री/ श्रीमति अनिता इनीट की अध्यक्षता में की गई जिसमें दृष्टि कण्ठी गाव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वडा No. ४ जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमेंगर निवासी विशेषज्ञान द्वारा रोपी) *
के निम्नांग के लिए 1.50 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।)वन अधिकारों के लिए दाव हतृ प्राप्त हुए गाव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति जन द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया— List of K.L. No. ५१ Area attached Flagged "A"
क०३० *पात्र गाव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का छौरा
क०३१ अधिकृत व्यक्ति वहाँ वन
अधिकार का दावा कर्ज-ही है। — —

नियमानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों का पारित करने हतृ ग्राम सभा से इनकी सिफारिश करती है।

उपरावन में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया—

क०३० *पात्र गाव वासी का नाम — N.L. —

तादानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों का पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान... वडा No. ४
दिनांक

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
वडा ग्राम सभा... जंगल

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
ग्राम सभा.....
प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

दिनांक

ग्राम सभा वार्ड नं० - 8 की बैठक आज दिनांक 24.04.2016 को

बजे स्थान में श्री/ श्रीमति उमा कंगल (फार्स्ट) अध्यक्षता में की
गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वार्ड नं० - 8 जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें नगर निगम द्वारा रोपैव ** के निर्माण के
लिए 1.50 हेक्टेयर दन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम सभा की शन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवदेनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विन्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया।

क्रमांक 1. *पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्यौरा
2. किसी भी व्यक्ति द्वारा वन अधिकार का कानूनी दर्जा नहीं।

नियमानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त न से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्रमांक 1. *पात्र गांव वासी का नाम N.I.C. -

नियमानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस दावे सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान वार्ड
दिनांक

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
वार्ड ग्राम सभा 21.04.17

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा

वार्ड नं० - 8

विकास खण्ड

ज़िला

शिमला

(हिंगू)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक

महान्‌ति

2405

1211

प्रस्ताव संख्या

दिवाय

नगर निगम शिमला

विभाग/संस्था का

वार्ड नं० - 8

के निर्माण हेतु

1.50

रोपवी

जगल/ वन क्षेत्र

म प्रस्तावित

की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

हैकटयर वन भूमि के उपयोग

ग्राम सभा

वार्ड नं० - 8

24.04.2016 का

वज. स्थान

विभाग/संस्था का

रोपवी

बो बैठक आज दिनांक

की गई जिसमे नगर निगम शिमला

जगल/ वन क्षेत्र मे प्रस्तावित

1.50

के निर्माण हेतु

वार्ड नं०-8

लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

हैकटयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी को

नभी ग्रामवासियों ने सबधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक मे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे भूमि को Ropeway निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा 1.50 हैकटयर वन भूमि की सहमति दी जाती है।

स्थान शिमला
दिनांक

A.M.
अधीकृत हस्ताक्षर
वार्ड ग्राम सभा 24.04.2016

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा वार्ड नं० ७

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव स्थळ्य

दिनांक

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा वार्ड नं० ७ की बैठक आज दिनांक १७.०४.२०१६

का बजे स्थान

में श्री/ श्रीमति सचिवान्द शर्मा

री अध्यक्षता में की गई जिसमें गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वार्ड नं० ७

जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें गांव विभाग द्वारा शैफवी **

के निमंण के लिए ०.४२ हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।)वन अधिकारों के लिए दाव हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्यायन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया-

क०१० *पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्यौत्ति
किसी भी व्यक्ति द्वारा वन
अधिकार का दाव नहीं है।

नदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दाव/ इन दावों का पारित करने हेतु ग्राम सभा से इतकी सिफारिश करती है।

उपरान्त में स लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क०१० *पात्र गांव वासी का नाम


— १८ —

तदानुसार ग्राम सभा इस दाव/ इन दावों का पारित नियस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हआ।

स्थान श्री जबल
दिनांक


अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
वार्ड ग्राम सभा वार्ड नं० ७ साचिव

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/ जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा

प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

दिनांक

ग्राम सभा वार्ड नं० - १ की बैठक आज, दिनांक 17.04.2016 का बज स्थान न श्री/ श्रीमति द्वादशी कीवलर चौहान (मापिद) जी अध्यक्षता में की गई जिसमें जानकारी गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वार्ड नं० - १ जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें नगर निगम की समिति नाम द्वारा शीपर्व ** लिए 0.42 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवदेनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया।-

क्र०स्ट० 1 *पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्यौत्ति
2 किलोमीटर अनुसूचित हेक्टर वन अधिकार
की दावा छोड़ नहीं है।

ग्राम सभा यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्राप्ति छारती है।

उपरान्त न में लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्र०स्ट० 1 *पात्र गांव वासी का नाम — ११८ —
2

ग्राम सभा यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान विवरण

दिनांक


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
9/6 ग्राम सभा सचिव

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (राजकान) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा
विकास खण्ड

वार्ड नं०-९
जिला श्रीगंगाला (हिंगो)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक

गण्डवि 2457 : 1256

प्रस्ताव संख्या

दिनांक नगर निगम श्रीगंगाला विभाग/संस्था को वार्ड नं०-९
के निर्माण हेतु
मे प्रस्तावित
को मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

शीपवी

जगल/ वन क्षेत्र
हैवटेयर वन भूमि के उपयोग

ग्राम सभा
का वज्र स्थान
विभाग/संस्था का वार्ड नं०-९
जगल/ वन क्षेत्र मे प्रस्तावित
जिस सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है। ०.४२ रवसरा नं० की प्रतिलिपि संलग्न की गई है।

वगे बैठक आज दिनांक
की गई जिसमे नगर निगम श्रीगंगाला
के निर्माण हेतु वार्ड नं०-९
हैवटेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के
उद्देश्य का वार्ड नं० की प्रतिलिपि संलग्न की गई है।

सभी यानवासियों न सबधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्य का दूरी
संलग्न के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि
जिस जाति का सहमत है।

ग्राम सभा को इस बैठक मे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व
सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटार
सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कर ली है तथा प्रस्तावित ०.४२ हैवटेयर वन
भूमि को Ropeway निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा ०.४२ हैवटेयर वन
तहमत दी जाती है।

स्थान श्रीगंगाला
दिनांक

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
वार्ड ग्राम सभा न्यायालय

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा वडा नं०-१०
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

दिनांक

इन अधिकारी समिति ग्राम सभा वडा नं०-१० की बैठक आज दिनांक 28-04-2016.

वजे स्थान में श्री/ श्रीनाथ राजू ठाकुर गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य

परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वडा नं०-१०

जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें नगरीनगरी विभाग द्वारा रीपैक्ट **

क निम्नांग के लिए ०.२२ हैवटेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है।)वन अधिकारों के लिए दाव हतृ प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया।-

क०१० पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का घौरा

कृष्ण श्री लक्ष्मित हाहा बर्न
लक्ष्मित हाहा का दावो क्षेत्र नहीं)

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा ने इसकी सिफारिश करती है।

उपनाम से अंतिम पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क०१० पात्र गांव वासी का नाम

— ८८ —

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित नियस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल / वन क्षेत्र में काई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ। (११८८४)

स्थान विज्ञला
दिनांक ७

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
वडा ग्राम सभा, लालिंग
वडा नं०-१०

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवंदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

दिनांक

ग्राम सभा वाडी न०-१० की बैठक आज दिनांक 28.04.2016 को चूज स्थान में श्रीमति कर्त्त्याणांचल द्वीपा (पाँडिट) अधिकारी द्वारा गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वाडी न०-१० जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें नगर पिंड लिखा हुआ विभाग द्वारा रोपवी ** लिए ०.२२ है) वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया।-

क०स० *पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्यौरा
 १ किलोमीटर अधिक ऊँचाई वन समिति
 २ का दावा किलोमीटर है।

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रष्ठित करती है।

उपरान्त न में लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क०स० *पात्र गांव वासी का नाम
 १ —
 २ —

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल / वन क्षेत्र में काई भी वन अधिकार का दावा पापत नहीं हुआ।

स्थान लिखित

दिनांक

लिखित

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
पाँडिट सभा, लालित
वाडी न०-१०

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (राजक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा

वाड़ नं० - 10

दिल्ली संघण्ड

जिला

किशोरगढ़

(हिंगू)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक

ग्राम सभा

26/04/2016

1341

प्रस्ताव संख्या

दिल्ली

नगर निगम किशोरगढ़

का निर्माण हेतु

विभाग/संस्था का

रीपब्ली

जगल/वन क्षेत्र

में प्रस्तावित

वाड़ नं० - 10

हैवटेयर वन भूमि के उपयोग

की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

28.04.2016

ग्राम सभा

का

वाड़ नं० - 10

वो बैठक आज दिनांक

विभाग/संस्था का

की गई जिसमें नगर निगम किशोरगढ़

जगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित

०.22

के निर्माण हेतु वाड़ नं० - 10

लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है। स्वसंसद नं० की प्रतिलिपि इनलिङ्गान का ठाड़ ०.

सभी ग्रामवासियों ने सबधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों का पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्भवित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कर ली है तथा प्रस्तावित ०.22 हैवटेयर वन भूमि का निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की सहमति दी जाती है।

स्थान
दिनांक

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
वाड़ नं० - 10 सभा, कार्यालय
वाड़ नं० - 10

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत बन निवासी (बन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

बन अधिकार समिति

ग्राम सभा वाडी नं० - ॥

प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

दिनांक

बन अधिकारी समिति ग्राम सभा वाडी नं० - ॥ की बैठक आज दिनांक 10.04.2016

का बजे स्थान

में श्री/ श्रीमति

विट्ठु कुमार

श्री अध्यक्षता में की गई जिसमें कृष्णगढ़ गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत बन निवासी (बन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वाडी नं० - ॥

जगल / बन क्षेत्र में (जिसमेंगढ़ ग्राम द्वारा रेपति ** के निमांण के लिए ०.६४ हेक्टेयर बन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) बन अधिकारों के लिए दाव हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के बन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। बन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त बन अधिकार समिति द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया-

क००१ *पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम बन अधिकार का व्यौरा

क००२ किलोमीटर दूरी वन
ग्रामपाला० को लागे देखे नहीं

तदानुसार यह बन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसके सिफारिश करती है।

उपरावेद में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क००३ *पात्र गांव वासी का नाम

M.L.

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जगल / बन क्षेत्र में कोई भी बन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान विट्ठु
दिनांक

B.V.

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
विट्ठु ग्राम सभा ।।।. NO ॥

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस बन क्षेत्र / जंगल में बन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए बन (रांगवण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत बन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

दिनांक

ग्राम सभा वार्ड नं० - ॥ की बैठक आज दिनांक 10. 04. 2016 को

बजे स्थान

में श्री / श्रीमति रखनी स्टैट (पाष्ठ) की अध्यक्षता में की

कृष्णा नगर

गाव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत

वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वार्ड नं० - ॥ जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें नगर निवासी शाफतविभाग द्वारा शीफ्ट **

लिए 0.64 हेक्टेयर दाव भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम जमा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गाव वासियों के आवंदनों पर चर्चा की उपरान्त इन ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया।

क०स्ट०

*पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम
1 श्री अमित शर्मा (वन
2 अधिकार के दावों का दावा कर्ता)

वन अधिकार का व्यौग

नियमानुसार यह ग्राम जमा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रदित्त करती है।

उपरान्त में मेरे निखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क०स्ट०

*पात्र गांव वासी का नाम

— M —

नियमानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम जमा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान श्रामिल
दिनांक

जंगल/ वन क्षेत्र

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
वार्ड ग्राम सभा H.J.N.O.11

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवंदन किया है।

** प्रोजैक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा
दिकास खण्ड

वाड़ी न०-11

जिला शिमला

(हिंगू)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक

ग्रन्थांक

३१११

२०३९

प्रस्ताव संख्या

दिवस नगर निगम शिमला

के निर्माण हेतु

न प्रस्तावित

की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

विभाग/संस्था का
वाड़ी न०-11

रीपैरी

जंगल/ वन क्षेत्र

हैवटेयर वन भूमि के उपयोग

10.04.2016

ग्राम सभा

वाड़ी न० - 11

बोरो बैठक आज दिनांक

का

बज. स्थान

की गई जिसमें नगर निगम शिमला

विभाग/संस्था का

रीपैरी

के निर्माण हेतु वाड़ी न०-11

जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित

०.६४

हैवटेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के

लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है। रक्सरा ल० की प्रतिलिपि सलंगन की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने सबैधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों का पूरी
लम्जन के बाद तर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि
दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा जर्त
सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे
सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित ०.६४ हैवटेयर वन
भूमि की निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की
सहमति दी जाती है।

स्थान १ शिमला

दिनांक

वाड़ी अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम-सभा २०-२०११

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा तारीख - १२

प्रतिलिपि प्रस्ताव

1705

二三

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा का वाइ नं०- 12 की देटक आज दिनांक १७.०४.२०१६. बजे स्थान से पर्याप्त

की अधिकता में की गई जिसमे रामबालार गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य स्थानीय वन निवासी (वन अधिकारों की नायता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वडीन०-12. वडील वडी में स्थित है।

जगत् / वन क्षेत्र में (जिसमें १०२ नगराल्काल्पनिकावानग द्वारा) **राष्ट्रीय** ** के निमांग के लिए **०.०५** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।)वन अधिकारों के लिए दाव हृत् प्राप्त हुए गाव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया—

क्र० ८० *पात्र नांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का पैसा

विद्वान् शास्त्रज्ञान का नाम जगते
विद्वान् शास्त्रज्ञान का विद्वान् शास्त्रज्ञान

वन अधिकार का चौंडा

नेदानुलार यह बन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों का पारित करने हेतु याम जमा से इनको
तिकारिश करती है।

उपनाम में से लिखित पात्रों का दावा नियमान्वय सही चर्ची पात्र नहीं

क०स्त० अपार लोंग वार्षि नां नाम

पात्र नाम पासा का नाम

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित निरस्त करने की मिशनिश करती है।

四

जगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं है।

[Signature]

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्रन्थ समा १९६८-१९७० - १२
पाई

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दाये के लिए आवेदन किया है।

^{**} प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन मूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

दिनांक

ग्राम सभा वडे नं० - १२ की बैठक आज दिनांक १७.०५.२०१६ को
बजे स्थान में श्री/ श्रीमति सूष्मा कुठियाला (पांडिक) अध्यक्षता में की
एई जिसमें राम बाजार गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वडे नं० - १२ जंगल / वन
क्षेत्र में (जिसमें नगर निवासी नहीं भाग द्वारा शैपने ** के निर्माण के
लिए ८.०५ हैवटेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम
सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवदेनों पर चर्चा की
गई। वन अधिकारों के के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विचलृत चर्चा के
उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया।-

क०स्ट० *पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम
१ किंचि श्री अमित ठारू वर्मा
२ अमित ठारू (१) दावा वडे नं० - १२।

वन अधिकार का व्यौरा

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को
प्रतिक्रिया द्वारा है।

उपरान्त न मिलियत पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क०स्ट० *पात्र गांव वासी का नाम
१ NIL
२

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/ वन क्षेत्र
में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान दिनांक


अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा वडे नं० - १२
वादे

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए
आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग
की अनुमति दी जानी है।

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा

वाड़ी न०-12.

विकास खड्ग

जिला शिवलिंगम

(हिंदू)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक

वेदांग

3859

1930

प्रस्ताव संख्या

दियद

नगर निगम शिवलिंगम

विभाग/संस्था का

रीपवे

के निर्माण हेतु

वाड़ी न०-12.

जगल/ वन क्षेत्र

में प्रस्तावित

की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

हैकटेयर वन भूमि के उपयोग

17.04.2016 का

वाड़ी न०-12.

बगे बैठक आज दिनांक

वाड़ी न०-12.

विभाग/संस्था का

रीपवे

की गई जिसमें नगर निगम शिवलिंगम

जगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित

0.04

के निर्माण हेतु वाड़ी न०-12.

जिस सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

हैकटेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के

स्वसरा न० की प्रतिलिपि संलग्न की गई है-

उभी ग्रामवासियों ने सौंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों का पूरी भूमिका के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर ली है तथा प्रस्तावित 0.04 हैकटेयर वन भूमि का निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा सहमति दी जाती है।

स्थान शिवलिंगम
दिनांक


अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा वाड़ी न०-12
द्वाह

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा वाडे नं-13.
प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

दिनांक

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा वाडे नं-13 की बैठक आज दिनांक 24.04.2016
का बजे स्थान में श्री/ श्रीमति सीमा शर्मा

की अध्यक्षता में की गई जिसमें लीआरवाजर गाव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वाडे नं-13.

जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें नगर निवासी भी वासियाँ द्वारा रोपी हैं) **

के निमांण के लिए 0.86 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।)वन अधिकारों के लिए दाव हतु प्राप्त हुए गाव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया—

क०१० *पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्यौरा
 1 श्रीली श्री प्रभित हरयाङ
 2 अमितभारू ८११ कुर्जी जड़ी ६१।

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इनकी सिफारिश करती है।

उपराजक में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया—

क०१० *पात्र गांव वासी का नाम

← ८११ →

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

~~अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता~~
वाडे क्रम सभा 13

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्राजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक.....

ग्राम सभा.....

वड़ी नं० - १३, की बैठक आज दिनांक **24.04.2016** को

बज स्थान.....

में श्री/ श्रीमति.....

मारती श्वद

की अध्यक्षता में की

ई जिसमे **लीउर वाजर**

गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत

वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत **वड़ी नं० - १३,** जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमे नगर तिशाकौशिमा भाग द्वारा **रीफर** **

लिए **०.८६** हैक्टर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु याम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस याम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क०स०

*पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम

वन अधिकार का व्यौरा

1 **किलो ची ०८६ हैक्टर**
2 **नगर तिशाकौशिमा को लावा वडी नं० १३।**

तदानुसारः यह याम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड रत्तर की समिति को प्रतिनियन्ति है।

उपरान्त मे से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क०स०

*पात्र गांव वासी का नाम

लीउर

वन अधिकार याम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इन याम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार
मे कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान **अग्राम**

दिनांक.....

जंगल/ वन क्षेत्र

वडी याम सभा /३

अधीकृत हस्तादाकर्ता

* यामवासी / याम वासीयों के नाम जिन्होंने इस याम क्षेत्र / जंगल मे वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा
विकास खण्ड

वाड़ी नं०-13

जिला किशनगढ़

(हिंदू)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक

ग्रन्थानं 1548

800

प्रस्ताव संख्या

दिनांक

नगर निगम किशनगढ़

के निर्माण हेतु
में प्रस्तावित

की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

विभाग/संस्था का
वाड़ी नं० - 13.

शीपवी

जगल/ वन क्षेत्र

हैवटेयर वन भूमि के उपयोग

ग्राम सभा

24.04.2016 का

वाड़ी नं०-13.

बज. स्थान

विभाग/संस्था का

शीपवी

बगे बैठक आज दिनांक

की गई जिसमें नगर निगम किशनगढ़

जगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित

0.86

के निर्माण हेतु वैकटेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी की

लिए नहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

रक्षरा नं० की प्रतिलिपि संलग्न कीर्ति

सभी ग्रामवासियों ने संबोधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे भूमि को सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित 0.86 हैवटेयर वन भूमि को निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की सहमति दी जाती है।

स्थान SHIMLA
दिनांक

~~वाड़ी अधीकृत प्रस्तावकर्ता
ग्राम सभा 13~~